

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/बी-15/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती भारती पिलानिया, नर्स-2, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, सालासर रोड, सीकर को फैमिली प्रायोजन हेतु विदेश (जहाज पर यू.एस.ए.) जाने की अवधि दिनांक 01.07.2018 से 15.01.2019 तक 199 दिवस की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. विदेश में किसी भी राष्ट्रविरोधी / अवैधानिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होंगे।

२

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/बी-15/2018/1377

दिनांक:- 8/10/2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक: 1412/एम/एमएच/18 दि. 14.06.2018 के क्रम में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर को उनके आई डी क्रमांक: 4559/पीएस/एसीएस/एमएच/2018 दि. 14.06.2018 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक: 1308 दिनांक 15.06.2018 के सन्दर्भ में।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर।
5. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, सालासर रोड, सीकर।
6. श्रीमति भारती पिलानिया, नर्स-2, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर